सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

प्रार्थना—पत्र संख्याः—47/2017

दायर दिनाँक **07.04.2017**

प्रार्थीगण/वादीगण		अप्रार्थीगण/वादीगण
1. सांवतसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, (फौत), के वारिशान्— 1/1 अन्तरकँवर पत्नी स्वर्गीय सांवतसिंह, 1/2 महावीरसिंह पुत्र स्वर्गीय सांवतसिंह, 1/3 सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय सांवतसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—फोगड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुमेरसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, उम्र—50साल, जाति—राजपूत, निवासी—फोगड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत आदेश—09 नियम 13 C.P.C.,
वास्ते अपास्त, एक पक्षीय डिक्री दिनाँक 11.02.2017
एवं
दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 R.T.Act,

उपस्थितः—

1. श्री रामेश्वरलाल भाकर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण/वादीगण।
2. श्री इस्लामुदीन, अप्रार्थीगण/वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **23.01.2018**

प्रार्थना—पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सुमेरसिंह ने कतई गलत तथ्यों पर एक वाद संख्या 161/2016 बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनाँक 15.11.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया, जिसका माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को दिनाँक 06.01.2017 को सम्मन जारी कर दिनाँक 23.01.2017 को 10 ए.एम. पर दिया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

तामिल कुनन्दा रामदेव ने कतई गलत रूप से सम्मन की प्रति मकान पर चस्पानगी दिनाँक 09.01.2017 सम्मन माननीय न्यायालय हाजा में पेश किया जिस पर दिनाँक 23.01.2017 को तामिल मानकर आवेदक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनाँक 01.02.2017 को उक्त वाद का एक पक्षीय निर्णय किया जा चुका है।

तामिल कुनन्दा रामदेव की रिपोर्ट पर दिनाँक 09.01.2017 को की गयी, जिसमें यह लिखा गया कि "हम मौतबिरान तस्दीक करते हैं कि सांवतसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी फोगड़ी जो मौके पर हाजिर नहीं मिला नोटिस की एक प्रति मकान पर चस्पा की गयी"। यह चस्पानगी मौतबीर भँवरलाल, हेमाराम के समक्ष की गयी है। इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि सांवतसिंह के आवेदक के सम्मन की तामिल उचित रूप से नहीं हुई है, क्योंकि यदि आवेदक घर पर नहीं हो तो उसको औरत व बच्चे जरूर मिलते, जिनका हवाला तामिल कुनन्दा द्वारा नहीं किया गया, इस प्रकार कतई गलत रूप से तामिल कराई गयी है जिसको अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

माननीय न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनाँक 11.02.2017 की सर्वप्रथम आवेदक को जानकारी दिनाँक 11.02.2017 को हुई, तब हल्का पटवारी ने गाँव में आकर आवेदक को कहा कि आपके खेतों का नाप–चौक कर बन्टवारा करना है, जिस पर आवेदक ने हल्का पटवारी से पूछा कि यह बन्टवारा कैसे करवा रहे हो, तो हल्का पटवारा ने कहा कि न्यायालय का आदेश हुआ है, तब आवेदक ने दिनाँक 06.04.2017 को न्यायालय में आकर मालूम किया तो ज्ञात हुआ कि आवेदक के विरूद्ध दिनाँक 23.01.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय व डिक्री दिनाँक 11.02.2017 को किया जा चुका है। तब दिनाँक 06.04.2017 को उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पेश किया, उसी दिन आवेदक को नकलें प्राप्त हुई।

उक्त प्रकरण में आवेदक का महत्वपूर्ण हित निहित है जिसको सुनवाई का अवसर दिया जाकर वाद का अन्तिम निर्णय किया जावे।

प्रार्थना, प्रार्थीगण/वादीगण है कि,

एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनाँकित 11.02.2017 अपास्त किया जाकर आवेदक को जवाब देही समुचित सुनवाई गवाही पेश करने का प्रार्थना–पत्र/वाद का निर्णय किया जावे।

प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/वादीगण को वास्ते जवाबदेही तलब किया गया।

प्रार्थी/वादी सांवतसिंह का दिनाँक 16.06.2017 को स्वर्गवास होने का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति पेश हुई व उनके कायम मुकाम पेश हुए, जिस पर किसी पक्षकार की आपत्ति पेश नहीं होने से स्वीकार किया जाकर रिकॉर्ड पर लिया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–2015/18
दायर दिनाँक 07.04.2017 निर्णय दिनाँक 23.01.2018
सांवतसिंह, वगैरा बनाम् सुमेरसिंह, वगैरा।
मूल वाद संख्या 161/2016
दायर दिनाँक 15.11.2016 निर्णय दिनाँक 11.02.2017 में पुनः डिक्री पारित दिनाँक 23.01.2018 सुमेरसिंह बनाम सांवतसिंह, वगैरा।

प्रार्थीगण/वादीगण व अप्रार्थीगण/वादीगण के बीच राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण/वादीगण की पहचान वकील श्री रामेश्वरलाल भाकर ने की व अप्रार्थीगण/वादीगण की पहचान वकील श्री इस्लामुदीन ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् उपर्युक्त राजीनामा के मुताबिक, राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ" मुताबिक, मूल वाद संख्या 161/2016 निर्णय दिनाँक 11.02.2017 में पक्षकारान् चाहते हैं कि, उक्त डिक्री को अपास्त किया जावे व वर्तमान राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक मूल वाद को डिक्री किया जावे।

बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण/वादीगण का कहना है कि उन्हें वाद की जानकारी नहीं होने से मूल वाद में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। प्रार्थीगण/वादीगण के खिलाफ की गई एकपक्षीय कार्यवाही को मूल वाद में अपास्त करवाने की इस्तदुआ, प्रार्थीगण/वादीगण कर रहे हैं।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 को स्वीकार कर प्रार्थीगण/वादीगण को मूलवाद में सुनवाई का मौका दिया जाना, हमारे मत में न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 के तहत् प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकारोपरान्त, मूल राजस्व वाद संख्या 161/2016 निर्णय व डिक्री दिनाँक 11.02.2017 को अपास्त किया जाकर, निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है कि,

हस्ब मूल दावा संख्या 161/2016 में वादग्रस्त भूमि, शरहद फोगड़ी के खसरा नम्बर 345 रकबा 66.06 बीघा, खसरा नम्बर 173 रकबा 01.03 बीघा, खसरा नम्बर 331 रकबा 09.07 बीघा व खसरा नम्बर 358 रकबा 03.06 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 345 रकबा 66.06 बीघा में से रकबा 07.04 बीघा व रकबा 25.09 बीघा का वादी सुमेरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रकबा 01.00 बीघा भूमि को 14 फिट चौड़ाई का सामलाती रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–2015/16
दायर दिनाँक 07.04.2017 निर्णय दिनाँक 23.01.2018
सांवतसिंह, वगैरा बनाम् सुमेरसिंह, वगैरा।
मूल वाद संख्या 161/2016
दायर दिनाँक 15.11.2016 निर्णय दिनाँक 11.02.2017 में पुनः डिक्री पारित दिनाँक 23.01.2018 सुमेरसिंह बनाम सांवतसिंह, वगैरा।

2. खसरा नम्बर 345 रकबा 66.06 बीघा में से रकबा 32.13 बीघा का प्रतिवादी सांवतसिंह के वारिशान् अन्तरकँवर, महावीरसिंह व सुरेन्द्रसिंह को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. खसरा नम्बर 173 रकबा 01.03 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी सांवतसिंह के वारिशान् अन्तरकँवर, महावीरसिंह व सुरेन्द्रसिंह को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।

4. खसरा नम्बर 331 रकबा 09.07 बीघा में से रकबा 04.13 बीघा का वादी सुमेरसिंह को तथा रकबा 04.14 बीघा का प्रतिवादी सांवतसिंह के वारिशान् अन्तरकँवर, महावीरसिंह व सुरेन्द्रसिंह को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

5. खसरा नम्बर 358 रकबा 03.06 बीघा में से रकबा 01.13 बीघा का वादी सुमेरसिंह को तथा रकबा 01.13 बीघा का प्रतिवादी सांवतसिंह के वारिशान् अन्तरकँवर, महावीरसिंह व सुरेन्द्रसिंह को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा के साथ पेश नजनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.01.2018** को सरे में इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **47/2017** दायर दिनाँक **07.04.2017**

प्रार्थीगण/वादीगण		**अप्रार्थीगण/वादीगण**
1. सांवतसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, (फौत), के वारिशान– 1/1 अन्तरकँवर पत्नी स्वर्गीय सांवतसिंह, 1/2 महावीरसिंह पुत्र स्वर्गीय सांवतसिंह, 1/3 सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय सांवतसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–फोगडी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1- सुमेरसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, उम्र–50साल, जाति–राजपूत, निवासी–फोगडी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश–09 नियम 13 C.P.C.,
वास्ते अपास्त, एक पक्षीय डिक्री दिनाँक 11.02.2017
एवं
दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act,

दिनाँक **23.01.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रामेश्वरलाल भाकर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण/वादीगण व श्री इस्लामुदीन, अप्रार्थीगण/वादीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आदेश–09 नियम–13 सी0पी0सी0 के तहत् प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकारोपरान्त, मूल राजस्व वाद संख्या 161/2016 निर्णय व डिक्री दिनाँक 11.02.2017 को अपास्त किया जाकर, निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है कि,

हस्ब मूल दावा संख्या 161/2016 में वादग्रस्त भूमि, शरहद फोगडी के खसरा नम्बर 345 रकबा 66.06 बीघा, खसरा नम्बर 173 रकबा 01.03 बीघा, खसरा नम्बर 331 रकबा 09.07 बीघा व खसरा नम्बर 358 रकबा 03.06 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 345 रकबा 66.06 बीघा में से रकबा 07.04 बीघा व रकबा 25.09 बीघा का वादी सुमेरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रकबा 01.00 बीघा भूमि को 14 फिट चौड़ाई का सामलाती रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

2. खसरा नम्बर 345 रकबा 66.06 बीघा में से रकबा 32.13 बीघा का प्रतिवादी सांवतसिंह के वारिशान् अन्तरकँवर, महावीरसिंह व सुरेन्द्रसिंह को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. खसरा नम्बर 173 रकबा 01.03 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी सांवतसिंह के वारिशान् अन्तरकँवर, महावीरसिंह व सुरेन्द्रसिंह को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।

4. खसरा नम्बर 331 रकबा 09.07 बीघा में से रकबा 04.13 बीघा का वादी सुमेरसिंह को तथा रकबा 04.14 बीघा का प्रतिवादी सांवतसिंह के वारिशान् अन्तरकँवर, महावीरसिंह व सुरेन्द्रसिंह को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

5. खसरा नम्बर 358 रकबा 03.06 बीघा में से रकबा 01.13 बीघा का वादी सुमेरसिंह को तथा रकबा 01.13 बीघा का प्रतिवादी सांवतसिंह के वारिशान् अन्तरकँवर, महावीरसिंह व सुरेन्द्रसिंह को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। राजीनामा के साथ पेश नजनक्शा अनुसूची ''अ'', निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.01.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फिस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय		
फिस कमिश्नर			हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर [illegible]
के जरिये [illegible]

[illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–47–2017/रीडर/2017/ 145 दिनाँक 8/2/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश–09 नियम 13 C.P.C.,
वास्ते अपास्त, एक पक्षीय डिक्री दिनाँक 11.02.2017
एवं
दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T.Act,

प्रार्थीगण/वादीगण		अप्रार्थीगण/वादीगण
1. सांवतसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, (फौत), के वारिशान्– 1/1 अन्तरकँवर पत्नी स्वर्गीय सांवतसिंह, 1/2 महावीरसिंह पुत्र स्वर्गीय सांवतसिंह, 1/3 सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय सांवतसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–फोगड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1- सुमेरसिंह पुत्र स्वर्गीय गुलाबसिंह, उम्र–50साल, जाति–राजपूत, निवासी–फोगड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner